महालेखाकार (लेखापरीक्षा II) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT II), KERALA, THIRUVANANTHAPURAM

सं सं.ले.प. II/प्रशा /हडताल 09th जुलाई/2025-26

No. Au II/Admn/ /Strike 09th July/2025-26 **Dated: 27-06-2025**

परिपत्र सं/ CIRCULAR No. 22

1. कुछ सेवा संघों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में दि.**09.07.2025** को हडताल हेतु आह्वान करते हुए ध्यान में आया है ।

It has come to notice that a Nationwide strike has been called for on**09th July 2025** by some Service Associations.

2. . इस प्रसंग में यह बात कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाता है कि ऐसे कोई हडताल/आदोलनकारी कार्यक्रम में भाग लेना केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण नियमावली), 1964 के नियम 7 तथा तदुपरात भारत सरकार के निर्णय (2) के विरुद्ध होगा । यह नियम स्पष्टत: अनुबद्ध करता है कि कोई भी सरकारी सेवक अपनी सेवा या किसी अन्य सरकारी सेवक की सेवा से संबंधित कोई भी विषय के सिलसिले में किसी भी तरह की हडताल या बल प्रयोग या शारीरिक दबाव का सहारा नहीं लेंगे न उकसावा देंगे ।

In this context it is brought to the notice of the staff that participating in any such strike/agitational programme would be against the Central Civil Services (Conduct Rules) 1964, vide Rule 7 and GOI decision (2) there under. This Rule expressly stipulates that no Government servant shall resort to or in any way abet any form of strike or coercion or physical duress in connection with any matter pertaining to his/her service or the service of any other Government servant.

3. भारत सरकार द्वारा व्यक्त किया गया है कि'हडताल' से तात्पर्य कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा काम करने से इन्कार करना या काम बंध या धीमा करना है और अनुमति के बगैर व्यापक रूप से काम में अनुपस्थित रहना भी इसमें शामिल हैं । & भारत सरकार द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनुमति के बिना कार्यालय परिसर में आन्दोलन/बैठक आयोजित करना सख्त रूप से मना है तथा ऐसी कोई बैठक को कें.सि.से (आचरण) नियमावली के नियम 7 का उल्लंघन माना जाएगा । मुख्यालय कार्यालय ने यह भी सूचित किया है कि कार्यालय परिसर के भीतर यानि कि कार्यालय की सीमा के भीतर आन्दोलन करने के लिए कोई भी संघ को अनुमति नहीं दी जाएगी । **अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए कोई प्रदर्शन /बैठक आयोजित करने /भाग लेनेवाले और / या हडताल का आश्रय लेने या किसी भी रूप से अवप्रेरित करनेवाले कोई भी सरकारी कर्मचारी पर गंभीरता से विचार किया** जाएगा ।

It has been clarified by Government of India that "Strike" means refusal to work or stoppage or slowing down of work by a group of employees acting in combination and includes mass abstention from work without permission. The Government of India has also clarified that holding of demonstration/meeting without permission within office premises is strictly prohibited and any such meeting would be treated as a violation of the Rule 7 of the CCS (Conduct) Rules. Headquarters Office has also intimated that henceforth no permission will be granted to any Association to hold demonstrations within the office premises i.e within the boundaries of the Office. **Any Government servant engaging himself or participating in any demonstration/meetings in**

violation of the instructions and/or resorting or in any way abetting any form of strike will be viewed seriously.

4. इस सिलसिले में यह भी नोट किया जाए कि अनुमति के बगैर काम पर अनुपस्थित रहना भी, अनुशासनिक कार्रवाई के अतिरिक्त मू.नि. **17 (1)** तथा मू.नि. **17 (ए)** के परन्तुक के प्रावधानों के तहत निपटाए जाने के आदी है । अत: सभी कर्मचारी सदस्यों को सलाह दी जाती है कि उपरोक्त हडताल / आंदोलनकारी कार्यक्रम में भाग लेने से दूर रहे ।

In this connection, it may also be noted that abstention from work without permission is also liable to be dealt with under the provisions of the proviso to FR 17 (1) and FR 17 (A) in addition to disciplinary action. Therefore, all the staff members are advised to refrain from participating from the above said strike/agitational programme.

5. छुट्टी मंजूरीदाता प्राधिकारियों को अनुदेश दिया जाता है कि हडताल का प्रस्तावित दिन यानि कि दि. **09.07.2025** को उनके अधीन कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों को किसी भी तरह की छुट्टी मंजूर न करें । **यदि किसी अकाट्य कारण पर छुट्टी का आवेदन किया जाता है तो उसे औचित्य तथा प्रमाणों द्वारा समर्थित किया जाना है और उसकी मंजूरी वरिष्ठ उप महालेखाकार / प्रशासन द्वारा प्रदान की जानी चाहिए ।** शाखा अधिकारियों को हडताल के दिन सुबह **10.00** बजे और शाम को **04.00** बजे अपने नियंत्रणाधीन अनुभागों / क्षेत्रीय दलों के कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच करना होगा और संलग्न प्रपत्र में उपस्थिति की स्थिति रिपोर्ट, ड्यूटी पर अनुपस्थित रहनेवाले पदाधिकारियों का नाम विनिर्दिष्ट करते हुए का.स्था. (प्रशासन) को सुबह **10.30** बजे और शाम को **04.30** बजे प्रस्तुत करना होगा । मुख्यालय अनुभागों द्वारा क्षेत्रीय दलों की रिपोर्टों को समेकित की जाए और का.सुथा/प्रशा. को भेजी जाए ।

Leave sanctioning authorities are instructed not to sanction any kind of leave for the proposed period of Strike i.e. on 09th July 2025 to the officers/staff working under them. If the leave is applied for on compelling reasons to be justified and supported by evidence, this should be sanctioned by Senior Deputy Accountant General (Administration). Branch Officers are to check the attendance of the staff in the Sections/Field Parties under their control at **10.00AM** and **04.00PM** on the day of Strike and report the position of attendance in the proforma enclosed, specifying the names of officials who were not present for duty, to OE (Admn), at **10.30 AM** & **4.30 PM**. Report of the Field Parties may be consolidated by Headquarters Sections and sent to OE (Admn.)

(महालेखाकार के दि.27-06-2025 के आदेशानुसार /
vide Orders dated 27-06-2025 of Accountant General)

Digitally signed by
ANISH D
Date: 27-06-2025
17:30:16

व उप महालेखाकार / (प्रशा & ए एम जी I)
Sr. Deputy Accountant General (Admn. & AMG-I)

To

1. सभी समूह अधिकारीगण/ मुख्य /शाखा कार्यालयों के शाखा अधिकारीगण
   All Group Officers/Branch Officers in Main / Branch Offices.

2. मुख्य /शाखा कार्यालयो के सभी अनुभाग / All Sections in Main / Branch Offices.
3. नि.ले.प.अधिकारीगण/ RAOs
4. सूचनापट्ट / Notice Board.